

पत्रांक / / (जी.एस.टी) / 2023-24 /

704 / राज्य कर
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक-29 दिसम्बर, 2023

::::आदेश::::

जी.एस.टी प्रैक्टिशनर्स के एनरोलमेन्ट की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय से जारी आदेश सं०- 334/जी.एस.टी/2018-19/वाणिज्य कर दिनांक-25.06.2018 यथा संशोधित आदेश संख्या-जी.एस.टी/2020-21/213/वाणिज्य कर दिनांक-24.08.2020 एवं जी.एस.टी/2020-21/ 720/ वाणिज्य कर, दिनांक-11.03.2022 से श्रीमती मुधबाला, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ तथा श्रीमती निरूपमा सक्सेना, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान को जी.एस.टी प्रैक्टिशनर्स के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु नामित किया गया था। श्रीमती मुधबाला की पदोन्नति संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के पद पर हो जाने के कारण आदेश संख्या-334/जी.एस.टी/2018-19/वाणिज्य कर दिनांक-25.06.2018 यथा संशोधित आदेश संख्या-जी.एस.टी/2020-21/213/वाणिज्य कर दिनांक- 24.08.2020 एवं जी.एस.टी/2020-21/ 720/ राज्य कर, दिनांक-11.03.2022 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली 2017 के नियम 83 में विहित प्रक्रिया के अनुसार जी.एस.टी प्रैक्टिशनर्स से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु श्रीमती सीमा सरोज, उप निदेशक को नामित किया जाता है। श्रीमती निरूपमा सक्सेना, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ पूर्ववत अपने कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करती रहेंगी।

2. आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय के स्तर से कॉमन पोर्टल पर श्रीमती मुधबाला को आवंटित "GSTN Approval" Role श्रीमती सीमा सरोज, उप निदेशक को दिये जाने तथा श्रीमती मुधबाला की लॉगिन आई0डी0 पर उपलब्ध अनिस्तारित प्रार्थना पत्रों को श्रीमती सीमा सरोज, उप निदेशक की लॉगिन आई0डी0 पर ट्रांसफर करना सुनिश्चित करेंगे।

इस कार्यालय से जारी आदेश सं०- 334/जी.एस.टी/2018-19/वाणिज्य कर दिनांक- 25.06.2018 यथा संशोधित आदेश संख्या- जी.एस.टी/2020-21/213/वाणिज्य कर दिनांक- 24.08.2020 एवं जी.एस.टी/2020-21/ 720/ राज्य कर दिनांक-11.03.2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

श्री अरुण
As
01/01/2024
DC(IT)
01/01/2024


9938

ह/-
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ०प०सं० / / तददिनांक उक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर।
2. संयुक्त आयुक्त(आई०टी०), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को वांछित कार्यवाही/ वेबसाइट अपलोड करने हेतु।
3. संयुक्त आयुक्त(स्थापना राजपत्रित), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्रीमती मधुबाला, संयुक्त निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती सीमा सरोज, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त(जी.एस.टी)
राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

बलराम/र
17/10/10
17/10/10

17/10/10